एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की कंपनी)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एवं

स्थिरता नीति

अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल. रोड,
बेंगलूरु - 560 094.

<u>नीति कथन</u>

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसीएल) अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) पहल के माध्यम से समाज की भलाई के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करके समावेशी विकास में विश्वास करती है।

सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति सी.एस.आर. नीति तैयार करती है और उसकी संस्तुति मंडल को करती है; समिति सी.एस.आर. गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की अनुशंसा करती है; समय-समय पर कंपनी की सी.एस.आर. नीति की निगरानी करती है एवं सी.एस.आर. नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करती है और उससी संस्तुति मंडल को करती है। सी.एस.आर. मंडल-संचालित एक प्रक्रिया है, मंडल सी.एस.आर. नीति को संस्वीकृति प्रदान करता है, कंपनी की वेबसाइट पर नीति डालता है, यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी वैधानिक प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित राशि व्यय करती है, वितरित सी.एस.आर. निधि के उपयोग के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करती है आदि।

1. उद्देश्य

1.1 एसीएल करेगा

क) कंपनी के मूल मूल्यों के साथ सी.एस.आर. एवं स्थिरता के दर्शन को एकीकृत करना।

ख) मंडल द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना।

ग) वार्षिक प्रतिवेदन में वार्षिक आधार पर सीएसआर एवं स्थिरता गतिविधियों को रिपोर्ट करना।

घ) सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों को पारदर्शी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से लागू करना ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

ङ) गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन में सीएसआर एवं स्थिरता विकास की भावना जागृत करना।

2. शब्द एवं परिभाषाएँ

2.1 **"कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)"** का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्धारित वैधानिक दायित्वों के अनुसरण में कंपनी द्वारा की गई गतिविधियाँ, इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

2.1.1 कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसरण में की गई गतिविधियाँ;

2.1.2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीयों के विदेशी खेल प्रशिक्षण को छोड़कर, भारत के बाहर कंपनी की कोई भी गतिविधि;

2.1.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से योगदान;

2.1.4 वेतन संहिता, 2019 में परिभाषित कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधियाँ;

2.1.5 अपने उत्पादों/सेवाओं के लिए विपणन लाभ प्राप्त करने के लिए प्रायोजन के आधार पर समर्थित गतिविधियाँ;

2.1.6 भारत में लागू किसी भी कानून के तहत किसी अन्य वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए की गई गतिविधियाँ;

2.1.7 मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन/टीवी कार्यक्रमों का प्रायोजन/मशहूर हस्तियों से जुड़े कार्यक्रम, विशेष रूप से मनोरंजन प्रयोजन आदि जैसे एकमुश्त कार्यक्रम।

2.2 "**सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति**" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और सी.पी.एस.ई पर लागू डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुसार गठित मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति है।

2.3 "**परियोजना**" का अर्थ एक ऐसी गतिविधि है जिसमें आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पूर्व-अनुमान लगाने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय अवधि के में, विभिन्न मील के पत्थर के लक्ष्य तय करके, निष्पादन के चरणों की अग्रिम योजना बनाना शामिल है।

2.4 "**चालू परियोजना**" का अर्थ है कंपनी द्वारा अपने सी.एस.आर. दायित्व को पूरा करने के लिए शुरू की गई एक बहु-वर्षीय परियोजना, जिसकी समय-सीमा तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उस वित्तीय वर्ष को छोड़कर जिसमें इसे शुरू किया गया था, और इसमें ऐसी परियोजना शामिल होगी जिसे शुरू में एक बहु-वर्षीय परियोजना के रूप में अनुमोदित नहीं किया गया था। लेकिन जिसकी अवधि उचित औचित्य के आधार पर सी.एस.आर. और एस.डी. समिति द्वारा एक वर्ष से अधिक बढ़ा दी गई है।

2.5 "**प्रशासनिक ऊपरी खर्च** " का अर्थ कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा किए गए खर्च हैं, लेकिन इसमें किसी विशेष कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना या कार्यक्रम के अभिकलन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे तौर पर किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

2.6 सी.एस.आर. एवं एस.डी. गतिविधियों के प्रयोजन के लिए " **स्थानीय क्षेत्र** " का अर्थ है कर्नाटक राज्य और वे क्षेत्र जहां कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है।

2.7 "**अंतर्राष्ट्रीय संगठन**" को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक

अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में अधिसूचित संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है , जिसके लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रावधान लागू है ।

3. सी.एस.आर. गतिविधियों का दायरा

3.1 ए.सी.एल. की सी.एस.आर.गतिविधियों का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") के तहत किए गए प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए समय-समय पर अधिनियम के तहत जारी डी.पी.ई. दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार होगा।

3.2 यह नीति कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित है।

4. सी.एस.आर. बजट

4.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.आर. व्यय के लिए बजटीय आवंटन उसकी सी.एस.आर. गतिविधियों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए औसत निवल लाभ का कम से कम 2% होना चाहिए।

4.2 सभी के लिए सी.एस.आर. परियोजनाओं / गतिविधियों के लिए निधि (बजट) का आवंटन मंडल द्वारा किया जाएगा।

5. आवंटन

5.1 सी.एस.आर. बजट का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके संशोधनों में निर्दिष्ट सी.एस.आर. गतिविधियों को वार्षिक आधार पर करने के लिए किया जाएगा। अनुसूची VII में शामिल सी.एस.आर. गतिविधियों की सूची **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है **जिसे अनुसूची VII में संशोधन होने पर संशोधित माना जाता है ।**

5.2 कंपनी डी.पी.ई. द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों सहित स्थानीय क्षेत्र में सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विषयों को प्राथमिकता देगी।

6. सी.एस.आर. निधि प्रबंधन

6.1 प्रशासनिक ऊपरी खर्च वित्तीय वर्ष के कुल सी.एस.आर. व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

6.2 सी.एस.आर. गतिविधियों के चयन से पहले, किसी भी प्रमुख सी.एस.आर. गतिविधि के लिए बेसलाइन/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। बेसलाइन/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण पर व्यय वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक व्यय की 5% की कुल सीमा से पूरा किया जाएगा।

6.3 यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो मंडल अपनी रिपोर्ट में, राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि अव्ययित राशि किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में आंतरित कर देगा। ।

6.4 किसी चालू परियोजना के तहत खर्च न की गई कोई भी राशि, कंपनी द्वारा, वित्तीय वर्ष के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर, किसी भी अनुसूचित बैंक में कंपनी द्वारा खोले जाने वाले एक विशेष खाता जिसे " **अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता** " कहा जाता है में आंतरित की जाएगी। ऐसी अव्ययित राशि कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता नीति के प्रति अपने दायित्वों के अनुसरण में, ऐसे हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर खर्च की जाएगी, ऐसा न होने पर तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी इसे अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में आंतरित कर देगी।

6.5 सी.एस.आर. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं बनने पर उसे वापस उसी परियोजना में लगा दिया जाएगा या अव्ययित सी.एस.आर. खाते में आंतरित कर दिया जाएगा और सी.एस.आर. नीति के अनुसरण में खर्च किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक कार्य योजना या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर ऐसी अधिशेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में आंतरित कर दिया जाएगा।

6.6 यदि कंपनी अधिनियम और सी.एस.आर. नियमों में निर्धारित आवश्यकता से अधिक यानी मुनाफे की 2% से अधिक राशि खर्च की जाती है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि को तत्काल अगले तीन वित्तीय वर्षों तक खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध इस शर्त के अधीन समायोजित किया जा सकता है कि-

(i) खर्च करने के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सी.एस.आर. गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) कंपनी का मंडल इस आशय का एक संकल्प पारित करेगा।

6.7 सी.एस.आर. राशि कंपनी द्वारा किसी पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की जा सकती है, जिसे - द्वारा आयोजित किया जाएगा -

(i) अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या पंजीकृत सोसायटी, जिसके पास धर्मार्थ उद्देश्य और सी.एस.आर. पंजीकरण संख्या है या

(ii) स्वयं सहायता समूहों, सामूहिकों, संस्थाओं के रूप में उक्त सी.एस.आर. परियोजना के लाभार्थी; या

(iii) एक सार्वजनिक प्राधिकरण आर्थात भारत के संविधान; (क) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (सी) राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित प्राधिकरण, निकाय या संस्था है ।

7. सी.एस.आर. योजना

7.1 सी.एस.आर. गतिविधियों के व्यापक पहुंच के लिए, इस अशय का व्यापक प्रचार किया जाएगा और प्राप्त प्रस्तावों पर सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति विधिवत विचार करेगी। कंपनी द्वारा किसी सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उचित प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए संबंधित अन्य सरकारी विभागों से भी परामर्श किया जाता है।

8. सी.एस.आर. कार्यान्वयन

8.1 निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी योजना और पर्यवेक्षण की व्यवहार्यता, संबंधित गतिविधि के लिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, पिछले अनुभव आदि सहित विभिन्न प्रासंगिक मापदंडों पर विचार करते हुए सी.एस.आर. गतिविधियां निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा की जा सकती हैं।

8.1.1 कंपनी स्वयं या

8.1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी या एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या एक पंजीकृत सोसायटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है, कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ स्थापित की गई है; या

8.1.3 अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत न्यास या एक पंजीकृत सोसायटी; या

8.1.4 संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी इकाई; या

8.1.5 अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या धारा 10 के खंड (23 सी) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (के माध्यम से) के तहत छूट प्राप्त एक पंजीकृत सोसायटी या धारा 12ए के तहत पंजीकृत और आयकर अधिनियम, 1961 की 80जी के तहत अनुमोदित और समान गतिविधियों को करने में कम से कम तीन वर्ष का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।

8.2 उपर्युक्त खंड 8.1 के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक इकाई, जो किसी भी सी.एस.आर. गतिविधि को करने का अशय रखती है, को 01 अप्रैल,2021 से प्रभावी कंपनी रजिस्ट्रार के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म सीएसआर - 1 दाखिल करके केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु सरकारी पोर्टल द्वारा उत्पन्न विशेष पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।

8.3 एसीएल परियोजनाओं या कार्यक्रमों या सी.एस.आर. गतिविधियों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकता है कि संबंधित कंपनियों की सी.एस.आर. समितियां ऐसी परियोजनाओं या गतिविधि पर अलग से और व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों, जैसे कि खर्च की गई राशि, की गई गतिविधियां, अनुपालन। वैधानिक प्रावधान आदि।

8.4 कंपनी अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सेवाएँ ले सकती है:

8.4.1 सी.एस.आर. परियोजनाओं का अभिकल्प, निगरानी एवं मूल्यांकन

8.4.2 सी.एस.आर. के लिए अपने कर्मियों की क्षमता निर्माण।

9. सी.एस.आर. निगरानी तंत्र

9.1 सी.एस.आर. एवं एस.डी समिति पहचानी गई सी.एस.आर. गतिविधियों/परियोजनाओं के आधार पर एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

9.1.1 अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में किए जाने के लिए अनुमोदित गतिविधियों से संबंधित सी.एस.आर. परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची ;

9.1.2 ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति ;

9.1.3 निधियों के उपयोग के तौर-तरीके और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन कार्यक्रम;

9.1.4 परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र;

9.1.5 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण ।

9.2 इस प्रकार अंतिम रूप दी गई वार्षिक कार्य योजना की उस रूप में अनुशंसा की जाएगी जैसा समझा जाएगा सी.एस.आर. और एस.डी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए एसीएल मंडल को भेजा जाएगा।

9.3 हालाँकि, वार्षिक कार्य योजना को सी.एस.आर एवं एसडी समिति की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय मंडल द्वारा आवश्यक समझे जाने पर संशोधित/आशोधित किया जा सकता है।

9.4 चल रही परियोजनाओं के मामले में, मंडल अनुमोदित समयसीमा और वर्षवार आवंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और समग्र अनुमति दी गई समय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, यदि कोई हो, आशोधन करने में सक्षम होगा।

10. सी.एस.आर. रिपोर्टिंग

10.1 कंपनी मंडल इस बात से संतुष्ट होगा कि इस प्रकार वितरित निधि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों एवं पद्धति से किया गया है और मुख्य वित्त अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसे प्रमाणित करेगा ।

10.2 कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट में सी.एस.आर. पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित विवरण शामिल होंगे।

10.3 प्रभाव आकलन

10.3.1 यदि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत सी.एस.आर. दायित्व 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, तो कंपनी अपनी सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करेगी। रुपये का परिव्यय 1 करोड़ या अधिक, जो परियोजना के एक वर्ष पूरा होने के बाद एक इसे एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से शुरू किया जा सकता है।

10.3.2 कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए अपने कुल सी.एस.आर. व्यय के दो प्रतिशत या 50 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, तक सीमित प्रभाव मूल्यांकन के लिए व्यय करेगी।

10.4 प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मंडल के समक्ष रखी जाएगी और सी.एस.आर. पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

11. सी.एस.आर. प्रकटीकरण

11.1 कंपनी को सार्वजनिक पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर सी.एस.आर. एवं एस.डी समिति की संरचना, सी.एस.आर. नीति और मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण करना होगा।

11.2 स्थिरता रिपोर्टिंग एवं प्रकटीकरण का पालन किया जा सकता है, जिसमें कंपनी समय-समय पर वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में अपने निष्पादन की रिपोर्ट देगी।

12. विविध

12.1 एसीएल की सी.एस.आर. नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और सी.एस.आर. पर डी.पी.ई

दिशानिर्देशों के अनुरूप होना है। इस नीति और कंपनी अधिनियम, नियमों और इस संबंध में जारी परिपत्रों के प्रावधानों के बीच किसी भी विरोधाभास के मामले में, उत्तरार्द्ध मान्य होगा।

12.2 कंपनी इसके किसी भी प्रावधान को आशोधित करने, रद्द करने, जोड़ने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है नीति, यदि वैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन देखा जाता है ।

अनुलग्नक-क

सी.एस.आर. पहल के क्षेत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और उसके संशोधनों के अनुरूप):

1. भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें स्वच्छता एवं सुरक्षित पानी की उपलब्धता के साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्वच्छ भारत कोष में अंशदान करना शामिल है।

2. शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के बीच व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं शामिल हैं।

3. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के साथ की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना।

4. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा गंगा नदी के कायाकल्प को बदलने के लिए स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान भी शामिल है।

5. इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास;

6. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के दिग्गजों और विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

7. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

8. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास, राहत और कल्याण के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर्स फंड) या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान;

9. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्त पोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में अंशदान

10. सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अंशदान; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी); परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के तहत स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ और स्वायत्त निकाय; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी); फार्मास्यूटिकल्स विभाग ; आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य निकाय, अर्थात् रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ); भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर); भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में लगे हुए हैं।

11. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

12. झुग्गी बस्तियों के क्षेत्र का विकास

13. स्पष्टीकरण - इस मद के प्रयोजनों के लिए, ' झुग्गी बस्तियों का क्षेत्र ' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय लागू किसी भी कानून के तहत घोषित कोई भी क्षेत्र होगा।

14. आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं

****